2022/232

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 25/2022 (बांसवाड़ा डिक्री)

मृतक लालजी के वारिसान :–

1/1. श्रीमती दीतु पत्नी स्व. लालजी भील, जाति भील, निवासी छोटी सरवन, कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

1/2. लक्ष्मण पुत्र स्व. लालजी भील, जाति भील, निवासी छोटी सरवन, कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

1/3. श्रीमती चम्पा पत्नी बिजीया पुत्री स्व. लालजी भील, जाति भील, नि0 छोटी सरवन, कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा

1/4. श्रीमती नबा पत्नी रामा पुत्री स्व. लालजी भील, जाति भील, निवासी छोटी सरवन, कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. उत्तमचन्द पिता स्व. रुपचन्द जाति भील, निवासी छोटी सरवन, कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (मृतक.) के बजाय :–

1/1. श्रीमती चोकली पत्नी उत्तमचन्द, जाति भील, निवासी छोटी सरवन, कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

1/2. श्रीमती भूलकी पत्नी उत्तमचन्द, जाति भील, निवासी छोटी सरवन, कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

1/3. शम्भु पुत्र उत्तमचन्द, जाति भील, निवासी छोटी सरवन, कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

1/4. सूरदान पुत्र उत्तमचन्द, जाति भील, निवासी छोटी सरवन, कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

1/5. श्रीमती पारी पत्नी उत्तमचन्द, जाति भील, निवासी छोटी सरवन, कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

1/6. बीरबल पुत्र उत्तमचन्द, जाति भील, निवासी छोटी सरवन, कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

1/7. मनोज पुत्र उत्तमचन्द, जाति भील, निवासी छोटी सरवन, कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

2. सुरजमल पिता स्व. रुपचन्द जाति भील, निवासी छोटी सरवन, कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (मृतक) के बजाय :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:49:53 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

2/1. अनिल पिता स्व. सुरजमल, जाति भील, निवासी खोरीपाडा, पोस्ट व तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

2/2. ईश्वरलाल पिता स्व. सुरजमल, जाति भील, निवासी खोरीपाडा, पोस्ट व तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

2/3. उमेश पिता स्व. सुरजमल जाति भील, निवासी खोरीपाडा, पोस्ट व तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

2/4. गोपीचंद पिता स्व. सुरजमल जाति भील, निवासी खोरीपाडा, पोस्ट व तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

2/5. जीतमल पिता स्व. सुरजमल जाति भील, निवासी खोरीपाडा, पोस्ट व तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

2/6. श्रीमती जीवली पत्नी स्व. सुरजमल जाति भील, निवासी खोरीपाडा, पोस्ट व तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

2/7. दिनेश पिता स्व. सुरजमल जाति भील, निवासी खोरीपाडा, पोस्ट व तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

2/8. श्रीमती पुनकी पत्नी स्व. सुरजमल जाति भील, निवासी खोरीपाडा, पोस्ट व तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

2/9. बहादुर पिता स्व. सुरजमल जाति भील, निवासी खोरीपाडा, पोस्ट व तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

2/10. बापुलाल पिता स्व. सुरजमल जाति भील, निवासी खोरीपाडा, पोस्ट व तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

2/11. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्व. सुरजमल जाति भील, निवासी खोरीपाडा, पोस्ट व तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

2/12. विजयलाल पिता स्व. सुरजमल जाति भील, निवासी खोरीपाडा, पोस्ट व तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

2/13. श्रीमती सन्तु पत्नी स्व. सुरजमल जाति भील, निवासी खोरीपाडा, पोस्ट व तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

3. रामेश्वर पिता स्व. रुपचन्द जाति भील, निवासी छोटी सरवन, कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

4. रामा पिता स्व. ध्रुवचन्द जाति भील, निवासी छोटी सरवन, कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

5. मुकेश पिता स्व. ध्रुवचन्द जाति भील, निवासी छोटी सरवन, कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:49:53 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

6. श्रीमती अता पुत्री स्व. ध्रुवचन्द पत्नी वालु, जाति भील, निवासी छोटी सरवन, कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.) हाल निवास चन्द्रगढ़, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश)

7. श्रीमती ललिता पुत्री स्व. ध्रुवचन्द पत्नी विष्णु जाति भील, निवासी छोटी सरवन, कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.) हाल निवास शेरा, तहसील बाजना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश)

8. श्रीमती कंचन पुत्री स्व. रुपचन्द पत्नी कैलाश जाति भील, निवासी छोटी सरवन, कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.) हाल निवास गोपालपुरा, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश)

9. श्रीमती राधा पुत्री स्व. रुपचन्द पत्नी हरु, जाति भील, निवासी छोटी सरवन, कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.) हाल निवास सेमलखेडा, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश)

10. श्रीमती सुगना पुत्री स्व. रुपचन्द पत्नी मालिया जाति भील, निवासी छोटी सरवन, कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.) हाल निवास केलियापाडा, फेफर तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा

11. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्व. रुपचन्द पत्नी मांगीला जाति भील, निवासी छोटी सरवन, कमलीपाडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.) हाल निवास घोडीतेजपुर, सेमलखेडा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा

12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.)

.................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी छोटी सरवन
दिनांक 11.04.2022 व डिक्री दिनांक
30.09.2022 प्रकरण संख्या 04 / 2014

---::---

<u>उपस्थित</u> :– 1. श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री अब्दुल बहाव अभिभाषक रे.सं. 1/1 से 1/4

---::---

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 28.01.2026</u>**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 11 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन कि[illegible]ीगण के पैतृक स्वामित्व व आधिपत्य की [illegible] 344 व पुराना खाता संख्या 321 का खसरा [illegible] 2 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:49:53 IST
Reason: SelfAttested

उप-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

लगान रुपया 3.81 पैसा वाके छोटी सरवन भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दानपुर तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है। उक्त कृषि भूमि का मूल खातेदार देवा पिता स्व. दीपा थे। देवा के एक पुत्र रुपचन्द हुआ, जिसके चार पुत्र व चार पुत्रियां हुई। ध्रुवचन्द (मृतक), उत्तमचन्द, सुरजमल, रामेश्वर, श्रीमती कंचन, श्रीमती राधा, श्रीमती सुगना, श्रीमती लक्ष्मी तथा मृतक ध्रुवचन्द के दो पुत्र व दो पुत्रिया हुई। रामा, मुकेश, श्रीमती अता, श्रीमती ललीता हुई। उक्त कृषि भूमि का मूल खातेदार वादीगण संख्या 1 से 3 व 8 से 11 के दादा एवं वादीगण संख्या 4 से 7 के परदादा (दादा के पिता) स्व. देवा पिता दीपा थे। स्व. देवा पिता दीपा के देहान्त के पश्चात् उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण प्रविष्ठि क्रम संख्या 182 दिनांक 07.05.1971 को वादीगण संख्या 1 से 3 व 8 से 11 के पिता एवं वादीगण संख्या 4 से 7 के दादा रूपचन्द पिता देवा के नाम पर खोला गया। परन्तु राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया। वादीगण के पूर्वज अपने जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि पर निरन्तर व निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते रहे हैं तथा देवा पिता दीपा की मृत्यु के पश्चात वादीगण के पिता व दादा रूपचन्द अपने जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि पर बहैसियत उत्तराधिकारी मालिक निरन्तर काबिज काश्त करते चले आते रहे। रूपचन्द के देहान्त के पश्चात् से वादीगण बहैसियत वारीसान मालिक निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा मौके पर काबिज काश्त है। वादीगण के पूर्वजों अथवा वादीगण द्वारा उक्त भूमि कभी–भी प्रतिवादी संख्या 1 को रहन, विक्रय अथवा किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं की गई है। वादीगण के अलावा अन्य किसी का उक्त भूमि पर कोई हक अधिकार नहीं है, किन्तु राजस्व अभिलेखों में विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई है, जो विधि विरूद्ध होकर वादीगण के मुकाबले प्रभावहीन व शून्य है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी नम्बर 113 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा का नामान्तरण संख्या 198 दिनांक 20.12.1971 एवं इसके पश्चात् राजस्व अभिलेखों [illegible] प्रतिवादी [illegible] के [illegible] पर किये गये समस्त अमलदरामद व [illegible] वादीगण के [illegible] शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:49:53 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

प्रभावी घोषित किये जाकर वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे।

2. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा विशेष कथन में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी जरिये रजिस्टर विक्रय पत्र दिनांक 22.12.1963 को क्रय की गई है, जिसके के आधार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नामातंरण स्वीकृत होकर विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज हुई है। उक्त आराजी नम्बर 1113 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा में से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि रतलाम डूंगरपुर रेल लाईन प्रोजेक्ट के तहत अवाप्त की जा रही है। इसलिए वादीगण ने मुआवजा राशि पर अपना हक जताने हेतु गलत वाद पेश किया है। वादीगण स्वच्छ हाथों से नहीं आये है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में 4 तनकीया कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 11.04.2022 को वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, तत्पश्चात् दिनांक 30.09.2022 को संशोधित डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 द्वारा यह अपील दिनांक 16.12.2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। जिस पर रेस्पोन्डेन्टगण के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके साथ विक्रय विलेख दिनांक 22.12.1963, बिजली कनेक्शन के बिलों की प्रतिया जमाबंदी सवत् 2038–41, 2051–54, नामान्तरण संख्या 198 दिनांक 22.12.1978, भूमि अवाप्त अधिकारी रतलाम डूंगरपुर रेल लाईन प्रोजेक्ट द्वारा दिनांक 02.05.2014 को जारी अधिसूचना, दैनिक भास्कर [illegible] पत्र द्वारा राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 22.01.2014 प्रस्तुत कर इन्हें रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:49:53 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

6. उक्त प्रार्थना पत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तथाकथित विक्रय विलेख दिनांक 22.12.1963 काफी विलंब से प्रतिवादी की साक्ष्य की स्टेज पर प्रस्तुत किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2019 को उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए तथाकथित विक्रय विलेख रिकॉर्ड पर नहीं लिये जाने का निवेदन किया था। उक्त आदेश कोई रिवीजन अथवा रिट अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। बिजली के बिल किस कृषि भूमि के है यह स्पष्ट नहीं है इसलिए उक्त बिल सुसंगत नहीं है। अपीलान्ट द्वारा जितने भी दस्तावेज उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये है, उन्हें इस स्टेज पर देरी से प्रस्तुत करने का कोई वास्तविक व उचित कारण नहीं बताया है, जबकि अपील स्टेज पर दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने हेतु उचित एवं वास्तविक कारण बताना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

7. दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3, 9 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत नहीं की गई है, न ही देरी को क्षमा करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, न ही शपथ पत्र पेश किया है एवं न ही कोई देरी का कारण बताया ऐसी स्थिति में अपील अवधि बाहर होने से खारिज फरमायी जावे।

8. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा डिक्री दिनांक 30.09.2022 के लिए नकल का आवेदन दिनांक 30.10.2022 को प्रस्तुत किया, जिसकी दिनांक अपीलान्ट को 16.11.2022 को प्राप्त हुई, जबकि अपील दिनांक 16.12.2022 को प्रस्तुत की गई है। नकल प्राप्ति की दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गई है। ऐसी स्थिति में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3, 9 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है।

9. जहां तक अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 का प्रश्न है, उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज मूल दस्तावेज/प्रमाणित प्रतियां होने से प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 स्वीकार किया जाकर [illegible] के साथ प्रस्तुत दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:49:53 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पूर्व पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

10. विद्वान अभिभाषक अपीलान्टगण ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/अपीलान्ट के पिता लालजी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि दिनांक 22.12.1963 को अपीलान्ट के पिता द्वारा क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया है, तब से अपीलान्टगण का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक मौका रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट/वादीगण का कब्जा मानकर वाद डिक्री करने में गंभीर त्रुटि की है, जबकि मौके अपीलान्टगण का कब्जा होकर बिजली का कनेक्शन ले रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र मौखिक साक्ष्यों के आधार पर विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व दस्तावेजों के विरूद्ध जाकर निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा आराजी नम्बर 1113 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम छोटी सरवन अपीलान्ट/प्रतिवादी का खाता पूर्व की तरह यथावत् राजस्व रिकॉर्ड में बहाल किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

11. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

12. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी लालजी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित आराज़ीयात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.12.1963 से क्रय की गई है, जिसके आधार पर नामान्तरण भी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में विकृत हुआ है, जो प्रदर्श 2 के अवलोकन से स्पष्ट है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर जमाबंदी में विवादित आराजी नम्बर 1113 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि अपीलान्ट लालजी के नाम दर्ज हुई, जो प्रदर्श 4 से प्रदर्श 10 तक के अवलोकन से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय का यह कथन कि प्रतिव[illegible] कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:49:53 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

प्रस्तुत करने हेतु प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ही खारिज कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन में मात्र मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा नहीं मानकर वादीगण का कब्जा मानते हुए वादीगण का वाद स्वीकार किया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की पृष्ठ संख्या 80 पर जो मौका रिपोर्ट संलग्न है, उसके अवलोकन से विवादित आराजी नम्बर 1113 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा पर वादीगण का कब्जा होना स्पष्ट नहीं है। अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजी नम्बर 1113 का रिकॉर्डेड खातेदार है, जब तक किसी ठोस दस्तावेज से अन्यथा कब्जा साबित नहीं हो, कब्जा खातेदार का ही होने की अवधारणा दी जाती है। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

13. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.04.2022 व डिक्री दिनांक 30.09.2022 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुये अपीलान्ट/प्रतिवादी को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर तथा सुनकर साक्ष्य सबूतो के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.03.2026 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

28.1.26.

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:49:53 IST
Reason: SelfAttested